राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

प0क:–3(2)राज–6/2009/5 जयपुर, दिनांक:– 23-4-09

समस्त जिला कलैक्टर,
राजस्थान।

विषय:–अनुसूचित जनजाति की कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों के कब्जे से मुक्त कराने के सबंध में।

तेरहवी विधान सभा के प्रथम सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह घोषणा की गयी है कि अनुसूचित जाति/जनजाति की कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों के कब्जे से मुक्त कराने की प्रभावी कारवाई की जायेगी।

इस सबंध में आपका ध्यान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी तथा 183 सी की ओर आकर्षित कर लेख है कि धारा 183 बी में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की भूमि पर अन्य जाति के व्यक्तियों द्वारा अवैधानिक रूप से कब्जा किये जाने पर सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् संक्षिप्त प्रकिया (Summary manner) द्वारा त्वरित बेदखली एवं दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। धारा 183 सी में न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के तहत अतिकमी को 15 दिन का अवसर दिये जाने के उपरान्त उसके द्वारा अतिकमण न हटाये जाने की स्थिति में दोषसिद्व होने पर न्यूनतम 1 माह तथा अधिकतम 3 वर्ष का साधारण कारावास तथा अधिकतम रू. 20,000/– का जुर्माना किया जा सकता है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 8.12.2000 एवं 9.2.07 को परिपत्र जारी कर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की भूमि पर अन्य जाति के व्यक्तियों द्वारा किये गये अवैध कब्जों को हटाने के सबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर उनकी सख्ती से पालना किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

एतद्द्वारा पुनः निर्देशित किया जाता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि पर अन्य जाति के व्यक्तियों द्वारा किये गये अवैध कब्जो के प्रकरणों को निश्चित समयावधि में प्राथमिकता के तौर पर निस्तारित करावें साथ ही परिपत्र दि0 8.12.2000 में वर्णित प्रपत्रों के अनुसार सूचना नियमित रूप से राजस्व मण्डल, अजमेर को भिजवाना सुनिश्चित करें।

22/04/2009

(अशोक सम्पतराम)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर को भिजवाकर लेख है कि नियमित सूचना प्राप्त कर एकजाई सूचना राजस्थान सरकार को भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राज0।
3. उप शासन सचिव, जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग।
4. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।

उप शासन सचिव